भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1129
बुधवार, 13 दिसंबर, 2023 / 22 अग्रहायण , 1945 (शक) को उत्तरार्थ

नेशनल को-ऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड

1129 **श्री अनिल देसाई**:

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)सहकारी क्षेत्रों में उत्पादकों की मदद करने में नवस्थापित नेशनल को-ऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड का उद्देश्य क्या है ;

(ख) चीनी, दुग्ध उत्पाद, चावल आदि के निर्यात की प्रक्रिया क्या है और इसमें उत्पादकों एवं किसानों को कितना लाभ अंतरित किया जाता है ; और

(ग) किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के भुगतान पर इसके प्रभाव का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (ख): जी हां मान्यवर, सहकारिता मंत्रालय ने बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) की स्थापना की है। एनसीईएल मुख्य रूप से हमारे किसानों के लाभ के लिए कृषि वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करेगा, जिससे भारत को तुलनात्मक लाभ होगा। प्राथमिक से शीर्ष स्तर तक की सभी सहकारी समितियां, जो निर्यात में रुचि रखती हैं, इसकी सदस्य बनने के लिए पात्र हैं।

यह सोसायटी देश की भौगोलिक सीमा से परे व्यापक बाजारों तक पहुंच बनाकर भारतीय सहकारी क्षेत्र में उपलब्ध वस्तु एवं सेवाओं के अधिशेष के निर्यात पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिससे दुनिया भर में भारतीय सहकारी उत्पादों/सेवाओं की मांग बढ़ेगी और ऐसे उत्पादों/सेवाओं के लिए सर्वोत्तम संभव कीमतें प्राप्त होंगी। यह सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित, चीनी एवं दुग्ध उत्पाद सहित सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद, भंडारण, प्रसंस्करण, विपणन, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, प्रमाणन, अनुसंधान और विकास आदि और व्यापार सहित विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देगी।

सोसायटी वित्त की व्यवस्था करने, तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में मदद करने, बाजार आसूचना प्रणाली विकसित करने, संबंधित सरकारी योजनाओं को लागू करने और ऐसी अन्य गतिविधियां करने में भी मदद करेगी जिससे सहकारी क्षेत्र और अन्य संबंधित संस्थाओं से निर्यात में वृद्धि होगी ।

यह सोसायटी 'संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण' के माध्यम के केंद्रित तरीके से भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न निर्यात संबंधी योजनाओं और नीतियों का लाभ प्राप्त करने में सहकारी समितियों को भी मदद करेगी। इससे सहकारी समितियों के समावेशी विकास मॉडल के माध्यम से "सहकार-से-समृद्धि" के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जहां सदस्यों को अपनी वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के माध्यम से बेहतर कीमतों की प्राप्ति के साथ-साथ सोसाइटी द्वारा उत्पन्न अधिशेष से वितरित लाभांश से भी लाभ होगा।

एनसीईएल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अब तक उन्हें 22 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से विभिन्न वर्गों के तहत सदस्यता के लिए 2,581 आवेदन प्राप्त हुए हैं। एनसीईएल को अब तक 16 देशों को 14,92,800 मीट्रिक टन गैर-बासमती सफेद चावल, 05 देशों को 8,98,804 मीट्रिक टन टूटे चावल, 01 देश को 14,184 मीट्रिक टन गेहूं अनाज, 5326 मीट्रिक टन गेहूं का आटा और 15,226 मीट्रिक टन मैदा/सूजी एवं 02 देशों को 50,000 मीट्रिक टन चीनी के निर्यात की अनुमति मिल चुकी है। एनसीईएल के उपनियमों का खंड 54 मूल्य निर्धारण का प्रावधान करता है जिसमें शुद्ध अधिशेष का 50% तक वितरण करके सदस्यों को उत्पादों की अंतिम कीमत प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

(ग): एनसीईएल मौजूदा बाजार मूल्य के आधार पर किसानों के उत्पादों की प्रारंभिक लागत प्रदान करेगा। एनसीईएल के उपनियमों में खंड 54, नीचे दी गई योजना के अनुसार मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया की रूपरेखा बताता है: -

i. उत्पादों की प्रारंभिक कीमत उत्पाद(उत्पादों) के प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर अस्थायी रूप से सदस्य(सदस्यों) को दी जा सकती है;
ii. ऐसे उत्पाद की बिक्री पर सोसायटी द्वारा किए गए सभी खर्चों में कटौती के बाद शुद्ध अधिशेष को बिक्री मूल्य और प्रारंभिक मूल्य के बीच अंतर के रूप में गिना जाएगा;
iii. सोसायटी अपने सदस्यों को उनके उत्पादों के लिए शुद्ध अधिशेष का 50% तक देने का प्रयास करेगी जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जा सकता है; और
iv. सदस्यों को देय उत्पादों की अंतिम कीमत बोर्ड द्वारा प्रारंभिक कीमत और पूर्ववर्ती उप-खंड (iii) के तहत भुगतान किए जाने वाले प्रस्तावित शुद्ध अधिशेष के हिस्से के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

*****